सरकार v/s रामचरण अग्रवाल 2020/0000

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
32/26	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अभिभाषक ने अवगत कराया कि अभिभाषक दे। फैसला हो चुका है। निर्णय हेतु अग्रिम वाद तैयार किया जा चुका है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 13/3/26 को पेश हो।
132/26	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी/रेस्पोण्डेण्ट/उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक संघ ने कार्य स्थगित/ बहिष्कार किया। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी, भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का पद रिक्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दि० 13/2/26 को पेश हो। रीडर
172/26	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी/रेस्पोण्डेण्ट/उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक संघ ने कार्य स्थगित/ बहिष्कार किया। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी, भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का पद रिक्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दि० 21/2/26 को पेश हो। रीडर
262/26	पत्रावली पेश हुई। अपील पक्ष उप० अभिभाषक अग्रिम तारीख 17.11.25 को अभिभाषक दे। का हुक्म अग्रिम वाद प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः हुक्म अग्रिम वाद के अनुसार अभिभाषक सं०। की तिथि 31/8/2025 को हुक्म हो चुकी है, अपील पक्ष द्वारा अभिभाषक सं०। को हुक्म की जानकारी होने से अवगत भी कोई प्र० वाद [illegible] दायर नहीं प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसे स्थिति में अधिनियम संहिता के धारा 22(1) Abatement [illegible] के अन्तर्गत अपील का निराकरण [illegible] पत्रावली केवल अनुसार [illegible] अग्रिम वाद [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 16:07:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी